राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...रावणा... व भू अभिलेख निरीक्षक ...रावणा... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ...निलवा... पटवार हल्का ...रावणा... तहसील **करेड़ा** व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् ...2075-78... में खाता संख्या ...17, 19, 20, 21... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	निलवा	17, 19, 20, 21	मिठु पि. मेरा	मिठु सिंह उर्फ मेरु सिंह

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 21

दिनांक:- 16/12/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 09:46:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा